न्यायालय भु– अभिलेख अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

बइजलास – पीठासीन अधिकारी– रोहित कुमार आर.ए.एस.
राजस्व विविध सं. 792/2018

प्रार्थीगण
1. नवलीदेवी पत्नी फुवाराम जाति जाट
2. पदमाराम पुत्र तुलसाराम जाति जाट
3. मगाराम पुत्र तुलसाराम जाति जाट
4. लाछीदेवी पत्नी दलाराम जाति जाट
5. सुगणीदेवी पत्नी धर्माराम जाति जाट सभी निवासीयान वजावास तहसील पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण
1. राणाराम पुत्र शोभराज जाति प्रजापत निवासी वजावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. राजस्थान राज्य द्वारा जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 आर.एल.आर एक्ट

आदेश

दिनांक 03.03.2020

उपस्थित : 1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री देवीसिंह महेशा अधिवक्ता विप्रार्थीगण की ओर से ।

प्रार्थीगण ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 आरएलआरएक्ट बाबत् तरमीम दुरस्ती बाबत् इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं, सरहद मौजा वजावास पटवार हल्का गोल सोढा तहसील पचपदरा में तत्समय में विप्रार्थी सं. 01 के खातेदारी का खेत मुल खसरा सं. 26 मुल रकबा 79.06 बीघा स्थित रहा, उक्त भूमि में से विप्रार्थी सं. 01 ने अपनी निजी जायज जरूरत के लिये प्रार्थीगण एवं उनके हकपुर्वाधिकारी को 50 बीघा भुमि सप्रतिफल बेचान किया, उक्त खरीदसुदा 50 बीघा भुमि के नये खसरा सं. 199/26 दर्ज किये गये, तदोपरान्त प्रार्थीगण ने आपसी सहुलियत अनुसार अपने–अपने हिस्से अनुसार जमाबन्दी अलग करवा कर प्रत्येक के खाते में 10 बीघा कृषि भुमि रखकर अपने अपने हिस्से की कृषि भुमि पर कब्जा काश्त बिना किसी दखल हस्तक्षेप के कायम रहा, मुल खसरा सं. 26 के वर्तमान खतौनी अनुसार नये तरमीमी खसरा सं. 264/26, 265/26, 266/26, 267/26, 199/26, 200/26 बने, तथा शेष 29.06 बीघा भुमि विप्रार्थी सं. 01 के खाते में रही, जिसके तरमीमी खसरा सं. 200/26 बनें। मूल खसरा सं. 26 में से बटटा नम्बर अंकित होकर तरमीमी रूप से वर्तमान में बने खसरा सं. 200/26 का रकबा 29 बीघा 06 विस्वा है, का खातेदार विप्रार्थी सं. 1 है, व उनका कब्जा काश्त भी 29 बीघा 06 विस्वा भूमि पर ही है, प्रार्थीगण काश्तकार है, के द्वारा अपनी भूमि की सार सम्भाल कर काश्त की जाती रही है, प्रार्थीगण द्वारा अपनी आवश्यकता हेतु हल्का पटवारी से दिनांक 18.05.2018 को नक्शा लट्टा ट्रेस की प्रतिलिपी चाही, जो पी 35 कमांक 1758 पर दर्ज कर पटवारी द्वारा जारी की, के अनुसार विप्रार्थी सं. 01 के खातेदारी खसरा सं. 200/26 के नक्शा लट्ठा ट्रेस में 03 बीघा भुमि लिपिकीय त्रुटि या सहवन से अधिक दर्ज कर दी गई, तथा प्रार्थीगण के खातेदारी की भुमि के खसरो के नक्शे में 03 बीघा कम दर्ज कर दी गई, जबकि विधि अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार ही नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम दर्ज अंकित किया जाना आवश्यक है। यानि दोनो का रकबा समान होना चाहिये। इस तथ्य की जानकारी होने पर विप्रार्थी सं. 01 को तहसील कार्यालय चल कर उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त करवाने हेतु निवेदन किया, तदोपरान्त राजस्व लोक अदालत केम्प में सहमति से दुरस्ती हेतु कहा, तब विप्रार्थी सं. 01 ने उक्त त्रुटि को स्वीकार कर कुछ दिनों में ही दुरस्त करवाने की बात की, किन्तु विप्रार्थी सं. 01 की नियत में खोट आ जाने एवं असामाजिक तत्वों के गलत सिखावें मे आकर उक्त त्रुटि को दुरस्त करवाने से मुकर गया, जबकि विप्रार्थी सं. 01 को उक्त तथ्य की पुर्ण जानकारी है कि उसके खातेदारी के खसरा सं. 200/26 का रकबा 29.06 बीघा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

....2..

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी अनुसार है किन्तु नक्शा लट्ठा ट्रेस लिपिकीय त्रुटि से 32.06 बीघा का बन गया है जो दुरस्त होना विधि सम्मत हैं। विप्रार्थी सं. 01 की खतौनी एवं मौके पर कब्जाकाश्त का रकबा 29 बीघा 06 विस्वा है, मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे में दखल हस्तक्षेप करते हुए नक्शा लट्ठा ट्रेस में दर्ज अशुद्ध तरमीम की प्रविष्टि को आधार बनाकर मौके की स्थिति में परिवर्तन करने हेतु तत्काल व आपत्तिक रूप से उतारू हो गये है, तरमीम दुरस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया, विप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि विप्रार्थी सं. 01 का पुश्तैनी खेत मूल खसरा सं. 26 रकबा 79.06 बीघा सरहद मौजा वजावास के नाम से वक्त सेटलमेंट से है, तथा विप्रार्थी सं. 01 के पिता का देहान्त होने के बाद विप्राथ्र्ज्ञी सं. 01 के नाम से है, विप्रार्थी सं. 01 द्वारा खरीददार मूराराम पुत्र धुड़ाराम को 2/5 हिस्सा, पदमाराम पुत्र तगाराम को 1/5 हिस्सा नरसिंग पुत्र देरामाराम को 2/5 हिस्सा कौम जाट को बेचान कुल रकबा 50 किया गया, प्रार्थीगण ने अपना हक हिस्सा गलत बताया है, विप्रार्थीगण का खसरा प्रार्थीगण से अलग है, जिससे प्रार्थीगण विप्रार्थीगन के खसरे की तरमीम करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने किस लिपीकीय त्रुटिके बारे में बताया उसका स्पष्टिकरण नही किया है। विप्रार्थी सं. 01 का पुश्तैनी सम्पुर्ण रकबा में से बेचान से शेष रकबा सम्पुर्ण पर बेचान से पुर्व कब्जा काश्त था, तथा आज दिन तक सम्पुर्ण रकबा पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग विप्रार्थी सं. 01 का है, प्रार्थीगण ने कभी भी सहमति से दुरस्त करवाने बाबत नही कहा, विप्रार्थी की उम्र 90 वर्ष से अधिक होने से हर पेशी पर विप्रार्थीगण उपस्थित नही आ सकते है,, विप्रार्थी हमेशा बिमार रहते है। प्रार्थीगन के पास जमताबंदी की अपेक्षा 03 बीघा भूमि अधिक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। दोनो पक्षो के लिखित अभिवचन प्रस्तुत होने पर मौके एवं रेकर्ड़ की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही, जो तहसीलदार पचपदरा से जरीये पत्र कमांक/भुअ/2019/ 2466 दिनांक 11.07.2019 प्राप्त हुई। जिसके अनुसार रिपोर्ट में बताया कि खसरा सं. 26 का मूल रकबा 79.06 बीघा था, जो कि विप्रार्थी राणाराम के पिता शोभराज द्वारा बेचान करने पर ना क सं. 16 के तहत दो भागे में विभाजित हुआ, जिसमें खसरा सं. 199/26 रकबा 50.00 बीघा व खसरा सं. 200/26 रकबा 29.06 बीघा दर्ज हुआ, इसके अनुसार लटटा ट्रेस में खसरा सं. 199/26 रकबा 50 बीघा के स्थान पर सहवन से 31.15 बीघा की तरमीम हुई, जिसमें ख सं. 199/26 में 2.13 बीघा का तरमीम कम हुई, है पड़ौसी खसरा सं. 200/26 रकबा 29.06 बीघा, जमाबन्दी अनुसार राणा पुत्र शोभराज कौम कुम्बार के नाम दर्ज है, जो पुर्व में बेचानकर्ता का वारिश विप्रार्थी है। खसरा सं. 200/26 की लटटा ट्रेस नक्शा अनुसार 31.19 बीघा जिसमें तरमीम अनुसार 2.13 बीघा रकबा अधिक है। लिहाजा खसरा नं. 267/26 की प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्तीकरण किया जाता उचित है।

हमने बहस सुनी पत्रावली व सलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया।

बाद गौर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा वजावास के खसरा सं. 200/26 रकबा 29 बीघा 06 विस्वा की खतौनी है, जबकि उसके स्थान पर नक्शा लट्ठा ट्रेस नक्शा में कब्जे एवं खतौनी में दर्ज रकबे के विपरीत की गई तरमीम को दुरस्त करते हुए खसरा सं. 267/26 रकबा 10 बीघा की तरमीम मौके पर कब्जाकाश्त अनुसार माफिक तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के सलग्न नक्शे में बतायी अनुसार दुरस्त करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिया जाता है, राजस्व रेकर्ड़ नक्शा इसी अनुसार दुरस्त हो। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के सलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू. अभिलेख अधिकारी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner